

राजस्थान - सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 20(101/29)रानि/आकाशि/2019-20/ 616-620 दिनांक : 24/4/19

:: आदेश ::

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य निधि मद के अन्तर्गत माँग संख्या 51 में विस्तृत लेखा शीर्ष मदों में निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों को उनके सम्मुख बजट का आवंटन किया जाता है :-
माँग संख्या-51

2202 -	सामान्य शिक्षा
03 -	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
789 -	अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र (विशेष संघटक योजना)
01 -	अनुसूचित जातियों के लिए (विशेष संघटक योजना) राज्य निधि

(राशि लाखों में)

क्र सं.	महाविद्यालय का नाम	05- कार्यालय मद
1	2	3
1	राजकीय महाविद्यालय, कांमा (31257)	0.30
2	राजकीय महाविद्यालय, बाडी (31258)	0.30
3	राजकीय महाविद्यालय, कपासन (31259)	0.30
4	राजकीय महाविद्यालय, सिवाना (31260)	0.30
5	राजकीय महाविद्यालय, निवाई (31262)	0.30
6	राजकीय महाविद्यालय, बाली (पाली) (31263)	0.30
7	राजकीय महाविद्यालय, छबडा (33057)	0.30
8	राजकीय महाविद्यालय, खीवसर (33058)	0.30
9	राजकीय महाविद्यालय, अन्ता (33377)	0.30
10	राजकीय महाविद्यालय, बैगू (33378)	0.30
11	राजकीय महाविद्यालय, टोडारायसिंह(33379)	0.30
12	राजकीय महाविद्यालय, चौहट्टन (35085)	0.30
13	राजकीय महाविद्यालय, अटरू (35086)	0.30
14	राजकीय महाविद्यालय, भादरा (35102)	0.30
	Total	4.20

व्यय विभागीय निर्देश एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना कर किया जावे।



(एन.एल.शर्मा)

वित्तीय सलाहकार

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,

जयपुर

क्रमांक : एफ 20(101/29)रानि/आकाशि/2019-20/ 616-620 दिनांक : 24/4/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्बन्धित प्राचार्य को भेजकर लेख है कि मासिक व्यय विवरण के साथ उक्त राशि के व्यय का विवरण भी भेजे।
3. वेब प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार